न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 13 / 2021 निर्णय दिनांक:- 06.08.2024

1 श्री रतनजी पिता नाथुजी दर्जी आयु वयस्क निवासी करावाडा तहसील सीमलवाडा डूंगरपुर राजस्थान।
1/1 श्री मगनलाल पिता रतनजी दर्जी
1/2 श्री मणीलाल पिता रतनजी दर्जी
1/3 श्रीमती गंगा पुत्री रतनजी दर्जी
1/4 श्रीमती कमला पुत्री रतनजी दर्जी निवासीयान करावाडा तहसील सीमलवाडा जिला डुंगरपूर राज.।

--वादीगण

वनाम

1 श्री गणेश पिता ताजेंग पटेल आयु वयस्क निवासी करावाडा तहसील सीमलवाडा डूंगरपुर राजस्थान।
2 श्री रमणलाल पिता ताजेंग पटेल आयु वयस्क निवासी करावाडा तहसील सीमलवाडा डूंगरपुर राजस्थान।
3 श्री रूपलाल पिता ताजेंग पटेल आयु वयस्क निवासी करावाडा तहसील सीमलवाडा डूंगरपुर राजस्थान।
4 श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा हाल झौंथरीपाल जिला डुंगरपूर राज.।

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 188 व 183 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–

श्री अल्लाहनूर मंसूरी वादी की ओर से।
श्री बालगोविन्द पाटीदार प्रतिवादीगण की ओर से।
पेरोकार सरकार, तहसीलदार झौंथरीपाल की ओर से।

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया था कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी नम्बर 2810/149 रकवा ग्यारह बिस्वा ग्राम करावाडा तहसील सीमलवाडा मे स्थित है जिसकी जमावन्दी संख्या नई 283 पुरानी 273 संवत 2058 मे अंकित है। उक्त आराजी की सुरक्षा के लिये उक्त आराजी के पुर्व व पश्चिम दिशा मे पत्थरो की चुनाई कर संवत् 1983 मे कोट बनाया है, जिसकी उत्तर दिशा मे रसिकजी डाक्टर साहब का मकान है जिससे सटकर वादी की जमीन होने से उत्तर दिशा में कोट बनाने की आवश्यकता नहीं थी। दक्षिण दिशा में वादी ने आने जाने के लिये खुला रखा है। उक्त जमीन के पास मे बिलपन तालाब की नहर है जिस समय नहर नही थी, तब प्रतिवादीगण ने यह कहकर कि वादग्रस्त जमीन पर अस्थाई तौर पर डाल रहे है, व्यवस्था कर अन्यत्र डालेंगे, उठा लेंगे। वादी की

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

आराजी के पास ही डालना प्रारम्भ कर दिया। वाद प्रस्तुत करने के पहले वादी व उसके बच्चे वादग्रस्त भूमि मे मिट्टी समतलीकरण करने गये तो प्रतिवादीगण ने झगडा फिसाद किया तथा विवाद कर मिट्टी समतलीकरण नही करने दी तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त जमीन मे जबरन खाद डालने को आमादा है। ऐसे मे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2810/149 मे जबरन खाद नही डाले व अतिकमण नही करे तथा दो ढेरीयो का खाद हटा लेवे तथा वादी को मिट्टी समतलीकरण करने मे व्यवधान उत्पन्न नही करे। इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है। वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक से तीन ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम करावाडा की वर्तमान आराजी नम्बर 149 रकबा 1.03 बीघा का उप नम्बर 2810/149 रकबा ग्यारह बिस्वा है। जिस पर प्रतिवादीगण का अखुडा है, ऐसे में वादी का उक्त वादग्रस्त आराजी के पूरे ग्यारह बिस्वा पर कब्जा नही है। वादी ने इस खसरा नम्बर बाबत् न्यायालय सहायक जिलाधीश एंव कार्यपालक दण्डनायक महोदय जिला डूगंरपुर के न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया था, जिसका मुकदमा नम्बर 124/1989 फैसल दिनांक 23.10.1990 है। उस मुकदमे में प्रतिवादीगण को पक्षकार नही बनाया, परन्तु न्यायालय के आदेश से मौका रिपोर्ट तहसीलदार मार्फत तलब कराई गई, जिनके द्वारा दिनांक 05.02. 1990 को मौके पर काबीज व्यक्तियों का कब्जे बाबत् अंकन है। प्रतिवादीगण के पिता गणेश पिता ताजेंग का अखुडा एक बिस्वा पर होना अंकित किया है, जिसे करीब 19 वर्ष होने आये है, परन्तु प्रतिवादीगण के पिता का अखुडा 50 वर्ष से भी उपर समय से है, इसलिये प्रतिवादीगण के कब्जे का अखुडा पर वादी का स्वामित्व व अधिपत्य नही है। वादी का वाद ग्रस्त जमीन पर कभी कब्जा नही रहा है ऐसे मे वादी का वाद खारिज योग्य है। वादी ने वाद के साथ वादपत्र की द्वितीय प्रति पेश नही की है ऐसे मे वादी का वाद खारिज किया जावे। वादी ने झूठे तथ्यो के आधार पर वाद प्रस्तुत किया जो खारिज किया जावे। पत्रावली वास्ते कायमी तनकियात मे रखी गई। वादी के वाद, प्रतिवादीगण के जवाब दावा के अनुसार निम्न तनकियात कायम की गई–

1 आया वादी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी खसरा नम्बर 2810/149 रकबा ग्यारह बिस्वा वाके ग्राम करावाडा तहसील झौंथरीपाल मे खाद न डालने, खाद को हटाने व वादी को मिट्टी डालकर आराजी को समतल करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

–जिम्मे वादी

2 आया वादी का विवादित आराजी पर कब्जा नही है इसलिये दावा खारीज योग्य है।

– जिम्मे प्रतिवादी

3 आया प्रतिवादी का विवादित आराजी पर 50 वर्षो से अखुडे के रुप मे कब्जा है, इसलिये प्रतिवादी का उक्त आराजी पर मुफालकत कब्जा होने से वादी का दावा धारा 183 आर.टी. एक्ट बेदखली चलने योग्य नही है।

– जिम्मे प्रतिवादी

4 आया वादी द्वारा प्रस्तुत मुकदमा नम्बर 124/1989 निर्णय दिनांक 23.10. 1990 मे प्रतिवादी पक्षकार मुकदमा नही थे। जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी का कब्जा है। इस विनाय पर वादी का वाद चलने योग्य नही है ।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

5 अनुतोष–

कायमी तनकियात स्पष्ट करने के पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। वादी ने अपने वाद के समर्थन मे अपने स्वय के साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया। पत्रावली दिनांक 19.01.2012 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज की गई थी, जिस पर वादी ने दिनांक 09.02.2012 को वाद पुनः नम्बर पर लेने के लिये आर्डर 9 रुल 4 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी को दी गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र न्यायहित मे स्वीकार किया गया। प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर नया नम्बर 17/2012 कायम किया गया। वादी की मृत्यु होने पर वकील वादी ने कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित अनवान पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वादी द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत की गई:–

1 पी डब्लयु–1 श्री कमजी पिता लालु रंगोत निवासी गधंवा तहसील झौथरी
2 पी डबल्यु–2 श्री नाथु पिता गुमना कटारा निवासी करावाडा के पास
3 पी डबल्यु–3 श्री मणिलाल पिता रतनजी दर्जी निवासी करावाडा
4 प्रदर्श–1 जमाबन्दी की नकल
5 प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत 2070–73 की नकल
6 प्रदर्श–3 नक्षा ट्रैस
7 प्रदर्श–4 नामान्तरण सख्या 946 की नकल

उक्त बयानों में बताया की वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी नम्बर 2810/149 रकबा ग्यारह बिस्वा ग्राम करावाडा तहसील सीमलवाडा मे स्थित है जिसकी जमाबन्दी सख्या नई 283 पुरानी 273 संवत 2058 मे अंकित है उक्त आराजी की सुरक्षा के लिये उक्त आराजी के पुर्व व पश्चिम दिशा मे पत्थरो की चुनाई कर संवत 1983 मे कोट बनाया है, जिसकी उत्तर दिशा मे रसिकजी डाक्टर साहब का मकान है जिससे सटकर वादी की जमीन होने से उत्तर दिशा में कोट बनाने की आवश्यकता नहीं थी। दक्षिण दिशा में वादी ने आने जाने के लिये खुला रखा है। उक्त जमीन के पास मे बिलपन तालाब की नहर है, जिस समय नहर नही थी तब प्रतिवादीगण ने यह कहकर वादग्रस्त जमीन पर अस्थाई तौर पर डाल रहे है, की व्यवस्था कर अन्यत्र डालेंगे, उठा लेंगे। वादी की आराजी के पास ही डालना प्रारम्भ कर दिया। वाद प्रस्तुत करने के पहले वादी व उसके बच्चे वादग्रस्त भूमी मे मिट्टी समतलीकरण करने गये तो प्रतिवादीगण ने झगडा फसाद किया तथा विवाद कर मिट्टी समतलीकरण नही करने दी तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त जमीन मे जबरन खाद डालने को आमादा है। ऐसे मे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमी खसरा नम्बर 2810/149 मे जबरन खाद नही डाले व अतिकमण नही करे तथा दो ढेरीयो का खाद हटा लेवे तथा वादी को मिट्टी समतलीकरण करने मे व्यवधान उत्पन्न नही करे।

साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। प्रतिवादीगण ने दिनांक 01.07.2024 को प्रार्थना पत्र आर्डर 8 रुल 1 ए का प्रार्थना पत्र पेश कर बयान वादी दिनांक 17.05.1988, बयान नारायण दिनांक 25.07.1989, पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार सीमलवाडा को, तहसीलदार की रिपोर्ट सहायक कलेक्टर महोदय को, पटवारी की तहसीलदार को रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

दिनांक 02.07.1990, वादी रतनजी का तहसीलदार को प्रार्थना पत्र व प्रतिलिपि निर्णय व डिक्री पत्रावली दस्तावेज को शामिल पत्रावली करने का निवेदन किया। प्रार्थना –पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये।

वादी ने दिनांक 17.11.2016 को आर्डर 7 रूल 14 का प्रार्थना पत्र पेश कर जमाबन्दी खतौनी, नामान्तरण सख्या 946 व नक्शा टैस पत्रावली पर लेकर प्रदर्शित किये जाने का निवेदन किया, जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी को दी गई। प्रार्थना पत्र मे उभय पक्ष की बहस सुनने के बाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दस्तावेज शामील पत्रावली करने व प्रदर्शित करने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात मगनलाल के बयान लेखबद्व किये गये।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा के समर्थन मे निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये:–

1 डीडब्लयु–1 श्री रमणलाल पिता ताजेंग पाटीदार निवासी करावाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 डीडबल्यु–2 श्री जयन्तिलाल पिता रतनजी पाटीदार निवासी करावाडा
3 डीडबल्यु–3 श्री कचरुलाल पिता गोवनजी पाटीदार निवासी करावाडा

प्रदर्श–डी 1 – प्रकरण सख्या 124/89 मे रतनजी के बयान की नकल
प्रदर्श–डी 2 – प्रकरण सख्या 124/89 मे नारायण के बयान की नकल
प्रदर्श–डी 3 – मौका रिपोर्ट
प्रदर्श–डी 4 – तहसीलदार का सहायक कलेक्टर डूंगरपुर को पत्र दिनांक 09.04.1990
प्रदर्श–डी 5 – पटवारी करावाडा का पत्र जो तहसीलदार सीमलवाडा को लिखा गया।
प्रदर्श–डी 6– रतनजी का तहसीलदार सीमलवाडा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल
प्रदर्श–डी 7– प्रकरण सख्या 124/89 के निर्णय की नकल

प्रतिवादी ने अपने बयानों में ग्राम करावाडा की वर्तमान आराजी नम्बर 149 रकबा 1.03 बीघा का उप नम्बर 2810/149 रकबा ग्यारह बिस्वा है। जिस पर प्रतिवादीगणका अखुडा है, ऐसे मे वादी उक्त वादग्रस्त आराजी के पूरे ग्यारह बिस्वा पर कब्जा नहीं है। वादी ने इस खसरा नम्बर बाबत् न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक महोदय, जिला डूंगरपुर के न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया था, जिसका मुकदमा नम्बर 124/1989 फसल दिनांक 23.10.1990 है। उस मुकदमे में प्रतिवादीगण को पक्षकार नहीं बनाया परन्तु न्यायालय के आदेश से मौका रिपोर्ट तहसीलदार मार्फत् तलब की कराई गई। जिनके द्वारा दिनांक 05.02.1990 को मौके पर काबीज व्यक्तियो का कब्जे बाबत अंकन है। प्रतिवादीगण के पिता गणेश पिता ताजेंग का अखुडा एक बिस्वा पर होना अंकित किया है, जिसे करीब 19 वर्ष होने आये है परन्तु प्रतिवादीगण के पिता का अखुडा 50 वर्ष से भी उपर समय से है, इसलिये प्रतिवादीगण के कब्जे का अखुडा पर वादी का स्वामित्व व अधिपतय नही है। वादी का वाद ग्रस्त जमीन पर कभी कब्जा नही रहा है, ऐसे मे वादी का वाद खारिज योग्य है। वादी ने वाद के साथ वादपत्र की द्वितीय प्रति पेश नही की है, ऐसे मे वादी का वाद खारिज किया जावे। वादी ने झूठे तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया, जो खारिज किया जावे। प्रतिवादी साक्ष्य बन्द कर पत्रावली बहस में नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी नम्बर 2810/149 रकबा ग्यारह बिस्वा ग्राम करावाडा तहसील झौंथरीपाल मे स्थित है, जिसकी जमाबन्दी संख्या नई 283 पुरानी 273 संवत् 2058 में अंकित है। उक्त आराजी की सुरक्षा के लिये उक्त आराजी के पुर्व व पश्चिम दिशा मे पत्थरों की चुनाई कर संवत 1983 में कोट बनाया है, जिसकी उत्तर दिशा मे रसिकजी डाक्टर साहब का मकान है जिससे सटकर वादी की जमीन होने से उत्तर दिशा में कोट बनाने की आवश्यकता नहीं थी। दक्षिण दिशा में वादी ने आने जाने के लिये खुला रखा है। उक्त जमीन के पास मे बिलपन तालाब की नहर है जिस समय नहर नही थी तब प्रतिवादीगण ने यह कहकर कि वादग्रस्त जमीन पर अस्थाई तौर पर डाल रहे थे, की व्यवस्था कर अन्यत्र डालेंगे, उठा लेंगे। वादी की आराजी के पास ही डालना प्रारम्भ कर दिया। वाद प्रस्तुत करने के पहले वादी व उसके बच्चे वादग्रस्त भूमि में मिट्टी डालकर समतलीकरण करने गये तो प्रतिवादीगण ने झगडा फसाद किया तथा विवाद कर मिट्टी समतलीकरण नहीं करने दी तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त जमीन में जबरन खाद डालने को आमादा है। ऐसे मे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2810/149 में जबरन खाद नहीं डाले व अतिक्रमण नहीं करें तथा दो ढेरीयो का खाद हटा लेवे तथा वादी को मिट्टी समतलीकरण करने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। ऐसे में वाद डिक्री फरमाया जावे।

वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि ग्राम करावाडा की वर्तमान आराजी नम्बर 149 रकबा 1.03 बीघा का उप नम्बर 2810/149 रकबा ग्यारह बिस्वा है। जिस पर प्रतिवादीगण का अखुडा है, ऐसे में वादी उक्त वादग्रस्त आराजी के पूरे ग्यारह बिस्वा पर कब्जा नही है। वादी ने इस खसरा नम्बर बाबत् न्यायालय सहायक जिलाधीश एंव कार्यपालक दण्डनायक महोदय जिला डूंगरपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था, जिसका मुकदमा नम्बर 124/1989 फैसल दिनांक 23.10.1990 है। उस मुकदमे मे प्रतिवादीगण को पक्षकार नही बनाया, परन्तु न्यायालय के आदेश से मौका रिपोर्ट तहसीलदार मार्फत् तलब की कराई गई, जिनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिनांक 05.02.1990 को मौके पर काबीज व्यक्तियों का कब्जे बाबत् अंकन है। प्रतिवादीगण के पिता गणेश पिता ताजेंग का अखुडा एक बिस्वा पर होना अंकित किया है, जिसे करीब 19 वर्ष होने आये है, परन्तु प्रतिवादीगण के पिता का अखुडा 50 वर्ष से भी उपर समय से है, इसलिये प्रतिवादीगण के कब्जे का अखुडा पर वादी का स्वामित्व व अधिपत्य नही है। वादी का वादग्रस्त जमीन पर कभी कब्जा नही रहा है, ऐसे में वादी का वाद खारिज योग्य है। पूर्व में न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र में दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया था, जिसके विरोध में वादी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में अपील पेश की थी, जिसका अपीलीय न्यायालय द्वारा 30.11.2010 को निर्णय किया गया था। जिसमें वादग्रस्त जमीन पर प्रतिवादीगण का आराजी नंबर 149 की शेष बची 1 बीघा बिलानाम भूमि में प्रतिवादी का गोबर का खड्डा हो तो उसे यथावत् रहने देने का आदेश पारित किया था। साथ ही अपीलीय न्यायालय द्वारा आराजी संख्या 149 में 11 बीस्वा भूमि पर कब्जे के अनुसार पैमूद करने का आदेश दिया था। ऐसे में अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के गोबर के खड्डे को यथावत् रखने का आदेश पारित किया था तथा दस्तावेज प्रदर्श–डी 3

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

से यह प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त जमीन पर प्रतिवादीगण का पुराना कब्जा था, जो आज तक यथावत् बना हुआ है। साथ ही वादी ने वाद के साथ वादपत्र की द्वितीय प्रति पेश नही की है, ऐसे मे वादी का वाद खारिज किया जावे। वादी ने झुठे तथ्यो के आधार पर वाद प्रस्तुत किया जो खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। तनकीवार निर्णय करना उचित समझता हूं।

तनकी नम्बर 1

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी का कथन है वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी नम्बर 2810/149 रकबा ग्यारह बिस्वा ग्राम करावाडा तहसील सीमलवाड़ा मे स्थित है जिसकी जमाबन्दी सख्या नई 283 पुरानी 273 संवत 2058 मे अंकित है उक्त आराजी की सुरक्षा के लिये उक्त आराजी के पुर्व व पश्चिम दिशा मे पत्थरो की चुनाई कर संवत 1983 मे कोट बनाया है जिसकी उत्तर दिशा मे रसिकजी डाक्टर साहब का मकान है जिससे सटकर वादी की जमीन होने से उत्तर दिशा में कोट बनाने की आवश्यकता नही थी। दक्षिण दिशा में वादी ने आने जाने के लिये खुला रखा है। उक्त जमीन के पास मे बिलपन तालाब की नहर है जिस समय नहर नही थी, तब प्रतिवादीगण ने यह कहकर वादग्रस्त जमीन पर अस्थाई तौर पर डाल रहे थे, की व्यवस्था कर अन्यत्र डालेंगे, उठा लेंगे, वादी की आराजी के पास ही डालना प्रारम्भ कर दिया। वाद प्रस्तुत करने के पहले वादी व उसके बच्चे वादग्रस्त भूमि में मिटटी समतलीकरण करने गये तो प्रतिवादीगण ने झगडा फसाद किया तथा विवाद कर मिटटी समतलीकरण नही करने दी तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त जमीन मे जबरन खाद डालने को आमादा है। ऐसे में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण का कथन है कि ग्राम करावाडा की वर्तमान आराजी नम्बर 149 रकबा 1.03 बीघा का उप नम्बर 2810/149 रकबा ग्यारह बिस्वा है। जिस पर प्रतिवादीगण का अखुडा है, ऐसे मे वादी का उक्त वादग्रस्त आराजी के पूरे ग्यारह बिस्वा पर कब्जा नही है। वादी ने इस खसरा नम्बर बाबत न्यायालय सहायक जिलाधीश एंव कार्यपालक दण्डनायक महोदय जिला डूंगरपुर मे वाद प्रस्तुत किया था, जिसका मुकदमा नम्बर 124/1989 फैसल दिनांक 23.10.1990 है। उस मुकदमे मे प्रतिवादीगण को पक्षकार नही बनाया, परन्तु न्यायालय के आदेश से मौका रिपोर्ट तहसीलदार मार्फत् तलब की कराई गई, जिनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिनांक 05.02.1990 को मौके पर काबीज व्यक्तियो का कब्जे बाबत अंकन है। प्रतिवादीगण के पिता गणेश पिता ताजेंग का अखुडा एक बिस्वा पर होना अंकित किया है, जिसे करीब 19 वर्ष होने आये है, परन्तु प्रतिवादीगण के पिता का अखुडा 50 वर्ष से भी उपर समय से है इसलिये प्रतिवादीगण के कब्जे का अखुडा पर वादी का स्वामित्व व अधिपत्य नही है । वादी का वाद ग्रस्त जमीन पर कभी कब्जा नही रहा है ऐसे मे वादी का वाद खारिज किया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 से 7 से अवलोकन से साबित होता है कि वादी का वादग्रस्त जमीन पर कभी कब्जा नही रहा है तथा प्रतिवादीगण का कब्जा करीब 50 वर्षो से अनवरत चला आ रहा है, जिसकी ताईद गवाह कमजी जो वादी के द्वारा पेश किया गया है, ने भी की है। ऐसे में वादग्रस्त जमीन पर अपना कब्जा हक व आधिपत्य हो ये साबित करने मे वादी असफल रहा है। अतः इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

तनकी संख्या 2--

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी कथन है कि खसरा नम्बर बाबत न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक महोदय जिला डुंगरपुर के न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया था जिसका मुकदमा नम्बर 124/1989 फसल दिनांक 23.10.1990 है। उस मुकदमे मे प्रतिवादीगण को पक्षकार नही बनाया परन्तु न्यायालय के आदेश से मौका रिपोर्ट तहसीलदार मार्फत् तलब की कराई गई। जिनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिनांक 05.02.1990 को मौके पर काबीज व्यक्तियो का कब्जे बाबत अंकन है। ऐसे मे वाद मे प्रस्तुत दस्तावेजो से साबित होता है कि वादग्रस्त जमीन पर प्रतिवादीगण का करीब 50 साल पुराना कब्जा है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत गवाह ही अपने कथनो मे प्रतिवादी का कब्जा होने का ताईद किया है अतः इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी सख्या –3

इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी कथन है कि खसरा नम्बर बाबत न्यायालय सहायक जिलाधीश एंव कार्यपालक दण्डनायक महोदय जिला डूंगरपुर मे वाद प्रस्तुत किया था, जिसका मुकदमा नम्बर 124/1989 फैसल दिनांक 23.10.1990 है। उस मुकदमे मे प्रतिवादीगण को पक्षकार नही बनाया परन्तु न्यायालय के आदेश से मौका रिपोर्ट तहसीलदार मार्फत तलब की कराई गई। जिनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिनांक 05.02.1990 को मौके पर काबीज व्यक्तियो का कब्जे बाबत अंकन है। ऐसे मे वाद मे प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित होता है कि वादग्रस्त जमीन पर प्रतिवादीगण का करीब 50 साल पुराना कब्जा है, जिसकी ताईद वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहों ने भी की है तथा वादी ने अपने वाद मे भी वादग्रस्त जमीन पर अखुडे के रुप मे प्रतिवादीगण द्वारा उपयोग करने का अंकन किया है, ऐसे मे वादग्रस्त जमीन पर प्रतिवादी का पुराना कब्जा साबित होता है। अतः इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या –4

इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी कथन है कि खसरा नम्बर बाबत न्यायालय सहायक जिलाधीश एंव कार्यपालक दण्डनायक महोदय जिला डूंगरपुर में वाद प्रस्तुत किया था, जिसका मुकदमा नम्बर 124/1989 फैसल दिनांक 23.10.1990 है। उस मुकदमे में प्रतिवादीगण को पक्षकार नहीं बनाया परन्तु न्यायालय के आदेश से मौका रिपोर्ट तहसीलदार मार्फत् तलब कराई गई। जिनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिनांक 05.02.1990 को मौके पर काबीज व्यक्तियों का कब्जे बाबत अंकन है। ऐसे मे वाद मे प्रस्तुत दस्तावेजों प्रदर्श डी 1 से प्रदर्श डी 7 से साबित होता है कि वादग्रस्त जमीन पर प्रतिवादीगण का करीब 50 साल पुराना कब्जा है, जिसकी ताईद वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहों ने भी की है तथा वादी ने अपने वाद मे भी वादग्रस्त जमीन पर अखुडे के रुप मे प्रतिवादीगण द्वारा उपयोग करने का अंकन किया है। ऐसे में वादग्रस्त जमीन पर प्रतिवादीगण का पुराना कब्जा साबित होता है। अतः इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

::आदेश::

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्य के अवलोकन एवं बहस पर मनन के आधार पर यह पाया गया कि वादी अपने वाद के समर्थन में

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

इजलास श्री उपखण्ड अधिकारी श्री राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.

प्रकरण सख्याः 13/2021 निर्णय दिनांकः– 06.08.2024

श्री रतनजी वगैरह बनाम श्री गणेश वगैरह

वादपत्र अर्न्तगत धारा 188 व 183 राजस्थानी
काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :–श्री राकेश कुमार न्योल

व हाजरीः–
मिनजानिब मुदई श्री अल्लाहनूर मंसूरी उपस्थित व श्री बालगोविन्द पाटीदार मुदायलाह उपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है किः–

वादी अपने वाद के समर्थन में ठोस सबूत पेश कर ग्राम करावाडा की आराजी संख्या 2810/149 पर अपना हक, कब्जा व आधिपत्य साबित करने में असफल रहा है। ऐसे में वादी का वाद मय हर्जे खर्चे खारिज किया जाता है।

दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 06.08.2024 को डिक्री जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner